तारीख हुक्म	हुक्म या कायवाही इनिषियल जज	नम्बर व तारीख आहकान जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.6.19	दिनांक 24.5.19 को प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को पालना हेतु भेजी गई। जिसमें जिला रसद अधिकारी को यह निर्देश दिये गये थे, कि अप्रार्थी जब्तशुदा माल की प्रचिलित बाजार दर से राशि राजकोष में जमा करावे, तो राशि जरिये चालान राजकोष में जमा कराकर चालान की एक प्रति अप्रार्थी को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति इस न्यायालय में भिजवायें। अप्रार्थी द्वारा राशि 66,295/— रूपये जरिये चालान संख्या 30725003 दिनांक 28.05.19 के द्वारा राजकोष में जमा करा दिये गये थे। जिसकी चालान की दो प्रति अप्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई। उक्त निर्णय की पालना में जिला रसद अधिकारी का यह दायित्व था कि वह चालान की एक प्रति इस न्यायालय में भिजवाये। किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने अधिकार से परे जाकर अपने आदेश दिनांक 770 दिनांक 28.5.19 द्वारा प्रकरण में जब्त वाहन संख्या आर0जे0 11 जी0बी0 0384 को अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये तथा अपने पत्र कमांक 792 दिनांक 7.6.19 के द्वारा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा तस्दीक कर इस न्यायालय में भिजवाये है। उक्त कार्य हेतु जिला रसद अधिकारी सक्षम नहीं है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपने पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए नियम विरूद्ध कार्य किया है जो उक्त अधिकारी की बदनीयती जाहिर करता है। इस कार्य में सम्बन्धित कर्मचारी की भूमिका अहम् है। अतः उक्त दोनों कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण एवं अपील 1958) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अतः प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग जिला कलैक्ट्रेट धौलपुर को निर्णय दिनांक 24.5.2019 की प्रति, जिला रसद अधिकारी के आदेश कमांक 770 दिनांक 28.5.19, जिला रसद अधिकारी के पत्र कमांक 792 दिनांक 7.6.19 की प्रति, सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा एवं चालान की प्रति भेजते हुए लिखा जावे कि वह जिला रसद अधिकारी धौलपुर एवं सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण एवं अपील 1958) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो। नेहा गिरि नेहा गिरि जिला कलक्टर धौलपुर	